न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)

आदेश

वाद सं0 – एम0 20 / 2025–26
धारा 126 बी0एन0एस0एस0

प्रथम पक्ष : दिलीप साहु वगै0
बनाम
द्वितीय पक्ष : शिवा साहु वगै0

आदेश की क्र0सं0 एवं तारीख	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी
	वाद की कार्रवाई बी0एन0एस0एस0 की धारा 126 के तहत बसिया थाना के अप्राथमिकी संख्या 09 / 2025, दिनांक 16.06.2025 के द्वारा प्रतिवेदित **प्रथम पक्ष** : 1. दिलीप साहु, उम्र 32 वर्ष, पिता – स्व0 राज किशोर साहु, 2. शिखा देवी, उम्र 28 वर्ष, पति – दिलीप साहु, 3. विद्यावती देवी, उम्र 50 वर्ष, पति – स्व0 राजकिशोर साहु, सभी ग्राम – सरूडा, थाना – बसिया, जिला – गुमला बनाम **द्वितीय पक्ष** : 1 शिवा साहु, उम्र 25 वर्ष, पिता – सुहंग साहु, 2. सुगन्ती देवी, पति – सुहंग साहु, उम्र 48 वर्ष, 3. सुहंग साहु, पिता स्व0 सोबरन साहु, सभी ग्राम – सरूडा, थाना – बसिया, जिला – गुमला के मध्य मौजा – सरूडा के खाता संख्या 01, प्लॉट संख्या 471, रकबा 2.28 ए0 में से 2.5 डी0 भूमि विवाद को लेकर आपस में तनाव एवं उत्पन्न विधि व्यवस्था की समस्या के आलोक में प्रारंभ की गई। उत्पन्न विवाद के मद्देनजर उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तद्आलोक में उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें, किन्तु उभय पक्षकारों के द्वारा लिखित कारण पृच्छा दाखिल नहीं किया गया। प्रश्नगत मामले मे थाना या अन्य किसी स्रोत से किसी प्रकार की विधि व्यवस्था भंग होने की सूचना अप्राप्त है। अतः उक्त मामले को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 126 के तहत विर्निदिष्ट समयावधि पूर्ण होने के कारण बिना गुण–दोष के इस हिदायत के साथ समाप्त की जाती है कि सभी संबंधित पक्षकार प्रश्नगत स्थल पर लोक परिशांति व विधि व्यवस्था बनाए रखेंगे। लेखापित एवं संशोधित। 5/1/26 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया। (मुहर: कार्यालय अनुमण्डल पदाधिकारी, बसिया (गुमला)) 5/1/26 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया।	

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2026.01.06 11:17:16 +05:30
Location: 192.168.1.35